

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./ (जोन-कोटा)/से0नि0/2024/94

दिनांक :- 30/04/2024

आदेश

श्रीमती कृष्णा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, खेडली फाटक, कोटा (राज0), जिनकी जन्मतिथि 28.08.1964 हैं, को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 30.04.2024 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती हैं। दिनांक 30.04.2024 को इनका अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कृष्णा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्राकृतिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहीया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0जयपुर।

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./ (जोन-कोटा)/से0नि0/2024/94

दिनांक 30/04/2024

:-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर। उक्त कर्मचारी के विरुद्ध
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा। यदि आडिट पेरा या
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा। अन्य कोई वसूली बकाया
4. जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, खेडली फाटक, कोटा (राज0) हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. श्रीमती कृष्णा गुप्ता कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0जयपुर।

RajKaj Ref
6798054

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :30-04-2024 04:01:43